



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं० ०५२२-२२८६६४३

टेलीफ़ोन नं० ०५२२-२२८७७०१

पत्र सं० ५८९ -मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/२०११-४८-मा०सं०प्र०-०२/२००१

दिनांक : ९-५-२०११

फैक्स

(1) मुख्य अभियन्ता (स्तर- १/ ११),

अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/पीपीएमएम/तापीय परिचालन,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :- उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारी, जो दिनांक ०१.०१.१९९६ से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिनके वेतनमान दिनांक ०१.०१.०६ से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं को दिनांक ०१.०७.२०१० से बढ़ी दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० सं० १८१-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०११, दिनांक २३.०३.११ के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: ४९५-मा०सं०प्र०-०२/२००६-४८/२००१, दिनांक ०२.०३.२००६ एवं ६११-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/२००६, दिनांक २४.०३.२००६ सपष्टित संख्या ६२७-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि २००६, दिनांक २५.०३.२००६, सं० ३९३१-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/२००७, दिनांक २५.१०.२००७, सं० ११८९-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/०७, दिनांक ०२.०६.२००८, सं० ११६-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/२००९, दिनांक २०.०१.२००९, सं० ३३६३-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/०९, दिनांक २३.१२.२००९ एवं सं० ६७३-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/१०, दिनांक २४.०४.२०१० एवं सं० १६१०-मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/१०, दिनांक ०६.०८.२०१० के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/कर्मचारी, जो किन्हीं कारणोंवश से दिनांक ०१.०१.१९९६ से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक ०१.०१.२००६ से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक ०१.०१.०६ से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को दिनांक ०१ जुलाई, २०१० से निमानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
०१ जुलाई, २०१०	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का १०३ प्रतिशत

Pm-3

१९५

प्रधान
विद्युत उत्पादन निगम

क्रमांक: २/-

2. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उत्पादन निगम के आदेश सं0: सचिव/उ0प्र0रा0वि0ज0नि0लि0/1154, दिनांक अगस्त 30, 2000 के प्रस्तर 2,7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।
3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2010 एवं अग्रतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :—

I- दिनांक 01 जुलाई, 2010 से दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक की मंहगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 फरवरी, 2011 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 29 फरवरी, 2011 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस निगमादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयीं हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 01 जुलाई, 2010 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

क्रमशः 3/-

- 7- निगम के आदेश सं0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्राव्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।
- 8- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मवदीय,
(विनय प्रकाश कौतियार)
अधीक्षण अभियन्ता (02) 12/2011

सं: 589 -(1)-मासिंप्रा-02/उनिलि/20101, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (सांसद) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (5) महा प्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (7) समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (8) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (9) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (10) समस्त उप सचिव / अधिशासी अभियन्ता / अनु सचिव / अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (11) लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा) / (पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (12) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- (13) कट फाइल ।

आज्ञा से,
(विनय प्रकाश कौतियार)
अधीक्षण अभियन्ता (02) 12/2011